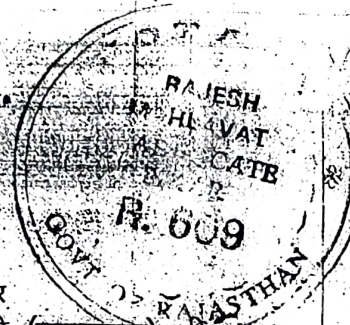




27

राजस्थान सरकार
कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (कलक्टर) सीकर

क्रमांक-एफ 16(3) मूख./ग्रामीण/राजस्व/08/

दिनांक : 2008

संपरिवर्तन आदेश

विवेकानन्द चिल्ड्रेन एकेडमी संस्था जरिये अध्यक्ष श्री नमोचन्द्र पुत्र श्री भगवानराम जाट जाति जाट नि 10 फतेहपुर रोड सीकर व मंत्री श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री भागीरथ सिंह खीचड़ जाति जाट नि गोकुलपुर सीकर के आवेदन पर आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का) अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिये इसको द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:-

1. आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता, पति के नाम सहित पूरा पता	विवेकानन्द चिल्ड्रेन एकेडमी संस्था जरिये अध्यक्ष श्री नमोचन्द्र पुत्र श्री भगवानराम जाट जाति जाट नि 10 फतेहपुर रोड सीकर व मंत्री श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री भागीरथ सिंह खीचड़ जाति जाट नि गोकुलपुर सीकर
2. क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति/जाति का सदस्य है	नहीं
3. संपरिवर्तन भूमि का खोरा (क) ग्राम/ग्राम प्रचालित तहसील का नाम (ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हैक्टर में) (ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हैक्टर या वर्गमीटर में)	ग्राम : गोकुलपुर खोरा : 869/813 खसरा : 0.48 हैक्टर/4800 वर्गमीटर
4. विनियम 9 अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्थान नक्शे के सुसंगत भाग की सहायक रूप से अस्थापित प्रति संलग्न है।	संस्थानिक प्रयोजन
5. संपरिवर्तन का प्रयोजन	शाला
6. भूमि का मापन करीब	7960
7. भूमि की संख्या तथा तारखे सहित जमा करीब प्रमाण की राशि	है (398 वर्गमीटर)
8. भूमि की संख्या तथा तारखे सहित जमा करीब प्रमाण की संख्या तथा तारखे सहित व्याज जमा करीब प्रमाण की जमा करीब राशि	इतिहास जोड़ कर के मापन के अनुसार भूमि प्रकृत है।
9. क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अन्तर्गत जारी किया गया है?	
10. अन्य विशिष्टियां यदि कोई हैं	

अध्यक्ष

विवेकानन्द चिल्ड्रेन एकेडमी संस्था

मंत्री

अध्यक्ष

विवेकानन्द चिल्ड्रेन एकेडमी संस्था

सीकर

TRUE COPY

(2)

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा -

1. इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से भूमि निशुल्क राज्यपक्ष में छोड़ते हुए संपरिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी।
2. उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
3. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समूह हो जायेगा।
4. निकटस्थ स्थानीय निकाय की उप विधियों तथा शिक्षण व अनुसंधान संस्थान का निर्माण वास्तविक कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी से पास करवाया जा सकेगा एवं नक्शा नियम 9(2) के तहत जिला कुल संपरिवर्तित भूमि को 40 प्रतिशत क्षेत्र वृद्धों के खेलकूद की व्यवस्था एवं पॉक, वाहन पार्किंग के लिए खुला रखना होगा।
6. यदि प्रार्थी इंडियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों में वर्णित सड़क मार्ग से रास्ता चाहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संचारित सड़कों से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
7. सर्वोच्च ग्राम पंचायत के नियमों का पालन किया जायेगा तथा वातावरण को स्वच्छ रखना होगा।
8. राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (6) राजस्व/92 पाठ/23 दिनांक 17.07.2007 के अनुसार नक्शा पास होने से पूर्व निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।

sd-
प्राधिकृत अधिकारी
(जिला कलेक्टर, सीकर)

क्रमांक-एफ.16 (3) भू.रू./ग्रामीण/राजस्व/07/3311-19
प्रतिलिपि निम्न को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक-13-6-2008

1. उप शासन सचिव राजस्व (भूमि रूपान्तरण) विभाग राज 0 जयपुर
2. सभागीय आयुक्त जयपुर सभाग, जयपुर
3. प्रभारी अधिकारी जिला राजस्व लेखाकार कलेक्टर सीकर
4. उपखण्ड अधिकारी सीकर
5. तहसीलदार सीकर का नक्शा ट्रेस की प्रति सहित।
6. सरपंच ग्राम पंचायत वाजोर पं.स. पिपराली

TRUE COPY

NOTARY PUBLIC
SIKAR (Raj.)

विवेकानन्द चिल्ड्रेन एकेडमी संस्था जरिये अध्यक्ष श्री नैगीचन्द पुत्र श्री भगवानाराम जाट जाति जाट नि.0 फतेहपुर रोड सीकर व मंत्री श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री भागीरथ सिंह खीचड़ जाति जाट नि. गोकुलपुरा सीकर

रक्षित पत्रायली

अध्यक्ष

मंत्री

विवेकानन्द चिल्ड्रेन एकेडमी संस्था

प्राधिकृत अधिकारी
(जिला कलेक्टर, सीकर)